



2026:AHC-LKO:19882

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

रिट सी संख्या - 2039 वर्ष 2026

श्रीमती संतोषी देवी

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, सचिव, पंचायत राज, सिविल सचिवालय, लखनऊ और 5 अन्य के
माध्यम सेविपक्षीगण

याची के अधिवक्ता : प्रमोद कुमार शुक्ला, आशीष कुमार मिश्रा

विपक्षीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार शुक्ला और राज्य के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री यू.सी. सिंह की बातें सुनीं। विपक्षी संख्या 6 शिकायतकर्ता है, जिसकी शिकायत पर याचिकाकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की गई है।

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत दायर इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने सीतापुर के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 21.01.2026 को पारित उस

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आदेश की वैधता को चुनौती दी है, जिसमें याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने, उसे ग्राम प्रधान के पद से हटाने और उससे राशि की वसूली का आदेश दिया गया है। याचिकाकर्ता सीतापुर जिले के सकारन, विकास खंड के ग्राम प्रधान के रूप में कार्यरत थी, उसी दौरान विपक्षी संख्या 6 ने उसके द्वारा की गई कुछ अनियमितताओं के विरुद्ध शिकायतें दर्ज कराईं।

3. प्रारंभिक जांच की गई और उसके आधार पर याचिकाकर्ता को दिनांक 07.01.2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया (याचिका के अनुलग्नक संख्या 3 के रूप में संलग्न)। याचिकाकर्ता ने स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया और उसके बाद जिला मजिस्ट्रेट ने दिनांक 22.03.2025 को उत्तर प्रदेश पंचायत राज (प्रधान, उप-प्रधान और सदस्यों को हटाने) जांच नियम 1997 (जिसे आगे जांच नियम, 1997 कहा गया है) की धारा 95(1)(जी) के अंतर्गत याचिकाकर्ता की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां जब्त करने का आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता ने याचिका संख्या सी - 3860/2025 दायर करके उपरोक्त आदेशों को चुनौती दी, जिसे दिनांक 01.05.2025 के आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया गया और याचिकाकर्ता की ग्राम प्रधान के रूप में शक्तियां जब्त करने वाले विक्षुब्ध आदेश को रद्द कर दिया गया। हालांकि, यह प्रावधान किया गया कि अंतिम जांच विधि के अनुसार पूरी की जाएगी। इसके बाद, दिनांक 21.01.2026 का विक्षुब्ध आदेश पारित किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता को ग्राम प्रधान के पद से हटा दिया गया, उससे राशि की वसूली का आदेश दिया गया और उसके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का भी निर्देश दिया गया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. उपरोक्त आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि ग्राम प्रधान के विरुद्ध जांच की प्रक्रिया उपरोक्त जांच नियम, 1997 के नियम 6 के उप-नियम में दी गई है।

3 जिसमें यह प्रावधान है कि:-

जांच अधिकारी उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध वह जांच करने वाला है, आरोपपत्रों की प्रति, आरोपों का विवरण और उन दस्तावेजों और गवाहों की सूची, जिनके आधार पर प्रत्येक आरोपपत्र को सिद्ध किया जाना प्रस्तावित है, सौंपेगा या सौंपने का प्रबंध करेगा, और उस व्यक्ति को लिखित नोटिस द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर अपना लिखित बचाव प्रस्तुत करने और यह बताने के लिए कहेगा कि क्या वह व्यक्तिगत रूप से सुनवाई चाहता है, और निर्दिष्ट दिन और समय पर उसके समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहेगा।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता को जांच नियम, 1997 के नियम 6(3) के अनुसार उपर्युक्त दस्तावेजों और सामग्री में से कोई भी उपलब्ध नहीं कराया है।

6. राज्य की ओर से विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री यू.सी. सिंह ने याचिका का विरोध किया है और उन्होंने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता और प्रशासक एवं ग्राम सचिव सहित दो अन्य व्यक्तियों को अनियमितताओं और गबन का दोषी पाए जाने के बाद विक्षुब्ध आदेश पारित किया गया है और उन तीनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। यह नहीं है कि याचिकाकर्ता को अलग से निशाना बनाया गया है और उसके विरुद्ध मनमाने ढंग से कार्रवाई की गई है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

7. यद्यपि, विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क का खंडन नहीं कर सके कि जांच नियम, 1997 के नियम 6(3) के अनुसार याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

8. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, इस न्यायालय का यह मत है कि याचिकाकर्ता को जांच नियम, 1997 के नियम 6(3) में उल्लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिससे पूरी जांच और परिणामस्वरूप निष्कासन एवं वसूली आदि का आदेश अमान्य हो जाता है।

9. तदनुसार, याचिका स्वीकार की जाती है। सीतापुर के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 21.01.2026 को पारित आदेश रद्द किया जाता है। विपक्षीगण को जांच नियम, 1997 के नियम 6 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध नए सिरे से अंतिम जांच करने की स्वतंत्रता दी जाती है।

मार्च 18, 2026

-अमित के-

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।